क्रम-संख्या–217(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू0 / एन0पी0–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 दिसम्बर, 2023

पौष 8, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–3

———

संख्या 01 / 2024 / 2568 / 36–3–2023–37(सा0)–2022

लखनऊ, 29 दिसम्बर, 2023

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–51

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1986) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उक्त नियमावली के सम्बन्ध में समस्त आपत्तियों और सुझावों को दो प्रतियों में प्रमुख सचिव, श्रम अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ 226001 / श्रमायुक्त कार्यालय जी0टी0 रोड, कानपुर को प्रेषित की जाएंगी।

केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर प्राप्त होंगी।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन)(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन)(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 1994 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) में, शब्द ''उत्तर प्रदेश बालक श्रम'' संक्षिप्त नाम, दीर्घ नाम, पार्श्व शीर्षक सहित जहां कहीं आया हो, के स्थान पर शब्द ''बालक और कुमार श्रम'' रख दिये जायेंगे।

नियम 2, 3 व 4 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 2, 3 व 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिभाषाएं– 2–इस नियमावली में– (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1986) से है; (ख) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है; (ग) ''रजिस्टर'' का तात्पर्य धारा 11 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर से है; (घ) ''अनुसूची'' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची से है; (ङ) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है; (च) पद ''अल्पव्यय व्यक्ति'' का वही अर्थ होगा जो कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) में इसके लिए दिया गया है।	**परिभाषाएं–** 2–इस नियमावली में– (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1986) से है; (ख) ''कुमार'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (i) में यथापरिभाषित किसी कुमार से है; (ग) अधिनियम या नियमावली की विभिन्न धाराओं के क्रियान्वयन हेतु ''जिला मजिस्ट्रेट'' का तात्पर्य स्वयं जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से है; (घ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है; (ङ) ''निधि'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 ख के उपधारा (1) के अधीन गठित बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि से है; (च) किसी बालक या कुमार के सम्बन्ध में ''अभिभावक'' का तात्पर्य बालक या कुमार की देखभाल तथा अभिरक्षा करने वाले व्यक्ति से है और इसमें किसी न्यायालय या परिनियम द्वारा नियुक्त या घोषित कोई नैसर्गिक अभिभावक या अभिभावक सम्मिलित है; (छ) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षक से है; (ज) ''चिकित्सा प्राधिकारी'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में सम्बन्धित जिला या क्षेत्र के राजकीय चिकित्साधिकारी से है; (झ) ''नगर पालिका'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अधीन गठित स्थानीय स्व–शासी संस्था से है; (ञ) ''पंचायत'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–ख के अधीन गठित पंचायत से है; (ट) ''माता–पिता'' का तात्पर्य नैसर्गिक अथवा सौतेले अथवा दत्तक माता–पिता से है; (ल) ''रजिस्टर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 11 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर से है; (व) ''अनुसूची'' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची से है;

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(ह) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;
	(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु इसमें अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं।
रजिस्टर [धारा 11 और धारा 18(2)(घ)] – 3–धारा 11 के अधीन रजिस्टर, प्रपत्र ''क'' में प्रत्येक वर्ष रखा जाएगा। एक वर्ष का रजिस्टर तीन वर्ष की अवधि के लिए अभिलेख में रखा जाएगा।	अधिनियम की धारा 11 के अधीन रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना 3–(1) किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक अधिष्ठाता (प्रपत्र–क) में, नियोजित या कार्य करने की अनुमति वाले कुमारों के सम्बन्ध में एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा। (2) रजिस्टर वार्षिक आधार पर अनुरक्षित किया जायेगा किन्तु नियोक्ता द्वारा उसमें की गयी अन्तिम प्रविष्टि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिधारित किया जायेगा।
चिंहित चिकित्सा प्राधिकारी, जिसके द्वारा आयु का प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा और प्रपत्र जिसमें जारी किया जायेगा और उसके प्रभार– 4–(1) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या किसी सरकारी अस्पताल का कोई चिकित्सा अधिकारी (जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी सम्मिलित हैं) जो एम0बी0बी0एस0 की उपाधि रखते हों, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विहित चिकित्सा प्राधिकारी होंगे। (2) विहित चिकित्सक अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला आयु का प्रमाण–पत्र प्रपत्र ''ख'' में होगा। (3) ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए विहित चिकित्सा प्राधिकारी को देय प्रभार वह होगा जो समय–समय पर यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। (4) विहित चिकित्सा प्राधिकारी को देय प्रभार का वहन अधिष्ठाता द्वारा किया जाएगा।	**आयु का प्रमाण-पत्र–** 4–(1) जहां निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी कुमार को किसी ऐसे व्यवसाय या प्रसंस्करणों में नियोजित किया गया है जिनमें उसे अधिनियम की धारा 3क के अधीन नियोजित किया जाना प्रतिषिद्ध है, वहां वह ऐसे कुमार के नियोक्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाण-पत्र, निरीक्षक को प्रस्तुत करें। (2)समुचित चिकित्सा प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आयु का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कुमार का परीक्षण करते समय विद्यालय से जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र या, कुमार के सम्बद्ध परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण-पत्र, यदि उपलब्ध हों; और उसके अभाव में, निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए कुमार के जन्म प्रमाण-पत्र पर विचार करेगा। केवल पूर्वोक्त तरीके के न होने पर ही अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा कुमार की आयु अवधारित की जाएगी। (3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण, सहायक श्रमायुक्त से अनिम्न रैंक के समुचित प्राधिकारी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसा आयु अवधारण, ऐसे आदेश के दिनांक से

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। (4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाण-पत्र प्रपत्र–ख में जारी किया जाएगा। (5) आयु प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वहीं होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाए। (6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार उस कुमार के नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।
नये नियम 5 से 16 का बढ़ाया जाना	उक्त नियमावली में, नियम 4 के पश्चात निम्नलिखित नये नियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–
अधिनियम के उल्लंघन में बालक और कुमार के नियोजन के प्रतिषेध के सम्बन्ध में जागरूकता–	5–(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के उपबन्धों के उल्लघंन में बालकों और कुमारों को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार, समुचित उपायों के माध्यम से– (क) नियोक्ता तथा बालकों और कुमारों सहित आम जनता को लोक और पारंम्परिक मीडिया तथा जनमीडिया जिसमें दूरदर्शन, रेडियो, इन्टरनेट आधारित एप्लिकेशन और प्रिन्ट मीडिया सम्मिलित है, का उपयोग कर लोक जागरूकता अभियानों का प्रबन्ध करेगी जिन्हें अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में नियोजित किया जा सकता है और अधिनियम की प्राथमिकताओं के बारे में जागरूक करेगी, और इस प्रकार नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को, बालकों को अभिनियोजित करने का प्रतिषेध करेगी और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में कुमारों को नियोजित करने से हतोत्साहित करेगी; (ख) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के लिए संचार के आसानी से सुलभ साधनों का विकास और विज्ञापन करके, अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में उद्यमों या बालकों या कुमारों के रोजगार के मामलों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करेगी; (ग) अधिनियम के उपबन्धों, इस नियमावली और उनसे संबंधित किसी भी अन्य सूचना को बस स्टेशनों, टोल प्लाजा और अन्य सार्वजनिक स्थलों जिसमें शॉपिंग सेंटर, बाजारों, सिनेमा हॉल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, रेजिडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशन कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल,

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर और अधिनियम के अधीन प्राधिकृत समस्त प्राधिकरणों के कार्यालय सम्मिलित हैं, पर यथासंभव प्रदर्शित करेगी; (घ) स्कूली शिक्षा में शिक्षा सामग्री एवं पाठ्यक्रम में अधिनियम के उपबंधों को सम्मिलित करने को समुचित माध्यम से प्रोत्साहित करेगी; और (ङ) श्रम पुलिस, न्यायिक, सिविल सेवाओं, शैक्षणिक, शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में अधिनियम के उपबंधों और उसके विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्वों पर प्रशिक्षण और संवेदीकरण सामग्री को सम्मिलित करने हेतु प्रोत्साहित करेगी और अन्य सुसंगत हितधारकों जिसमें पंचायत सदस्य, चिकित्सक और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी सम्मिलित हैं, के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगी।
बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि से बालक या कुमार को धनराशि का संदाय–	6–(1) अधिनियम की धारा 14 ख की उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति, जमा, निक्षेप या विनिधानित की गयी धनराशि और किसी भी मामले के अधीन किसी भी अन्य स्रोत से बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि और उस पर अर्जित ब्याज की वसूली की गई धनराशि, उस बालक या कुमार को संदत्त की जायेगी जिसके पक्ष में ऐसी धनराशि निम्नलिखित तरीके से जमा की गयी है :– (क) अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी अपने पर्यवेक्षण में यह सुनिश्चित करेगा कि बालक या कुमार का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाए और इसकी सूचना यथास्थिति उस बैंक को जिसमें निधि की धनराशि निक्षेपित की गयी है या, अधिनियम की धारा 14 ख की उपधारा (3) के अधीन निधि की धनराशि को विनिधान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को प्रदान करेगा; (ख) निरीक्षक की सूचना के अधीन यथास्थिति, बैंक या विनिधान हेतु उत्तरदायी अधिकारी द्वारा बालक या कुमार के पक्ष में निधि की आनुपातिक धनराशि पर प्रोद्भूत ब्याज को प्रत्येक छह मास में बालक या कुमार के खाते में अंतरित किया जाएगा; (ग) जब संबंधित बालक या कुमार अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब तत्काल यथासंभव शीघ्र या तीन मास की अवधि के भीतर, अधिनियम की धारा 14ख की उपधारा (3) के अधीन बालक के पक्ष में कुल

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	जमा, निक्षेप या विनिधान की गयी धनराशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित कुल धनराशि जो बैंक में शेष है या विनिधान किये जाने हेतु शेष है, यथास्थिति बालक या कुमार के उक्त बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी; और (घ) निरीक्षक सम्बन्धित बालक या कुमार के पहचान के लिये पर्याप्त विशिष्टियों के साथ खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन अंतरित धनराशि की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह जानकारी के लिये राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्रेषित करेगा; (ङ) अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए किसी बालक या कुमार के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में जुर्माने के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई धनराशि भी निधि में निक्षेपित की जाएगी और ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी।
गैर खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित कुमारों के कार्य की परिस्थिति–	7–(1) इस सम्बन्ध में प्रत्येक नियोक्ता का यह दायित्व होगा किः– **(क) कार्य स्थल की स्वच्छताः**– प्रत्येक कार्यस्थल, जहां कुमार को नियोजित किया गया है, को प्रत्येक दिन कम से कम एक बार पोंछा और साफ किया जाएगा और ऐसे स्थानों पर फिसलन वाली वस्तुएं और बदबूदार सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि कार्यस्थल पर नमी की कोई संभावना है, तो जल निकासी के प्रभावी उपाय सुनिश्चित और बनाए रखे जाएंगे। प्रत्येक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल पर या उसके आस–पास अपशिष्ट पदार्थ या कचरा इस तरह से डंप न किया जाए कि वह बाहर फैल जाए। **(ख) हवा का प्रवाह (संवातन) और तापमानः**– प्रत्येक कार्यस्थल पर यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसे कार्यस्थल के प्रत्येक कमरे में ताजी/शुद्ध हवा का प्रवाह हो और इन कमरों में ऐसा तापमान बनाए रखा जाए जो नियोजित कुमारों के कार्य करने के लिए आरामदायक हो और जिससे उनके स्वास्थ्य हानि को रोका जाये। **(ग) प्रकाशः**– प्रत्येक कार्य स्थल पर प्राकृतिक अथवा कृत्रिम प्रकाश अथवा दोनो उपलब्ध कराये जायेंगे और बनाये रखा जायेगा। आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिये एक सक्षम वहनीय बैटरी चालित या कुशलतापूर्वक सुसज्जित बैटरी टॉर्च समुचित स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(घ) सुरक्षित पीने का पानीः– कार्यस्थल पर सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली के नलों या हैण्डपम्पों के माध्यम से ताजा और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। यदि कार्यस्थल पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नलों या हैण्डपम्पों के माध्यम से ताजा और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सम्भव न हो तो पीने का पानी उपयुक्त बर्तनों में रखा जायेगा और इन बर्तनों को प्रत्येक दिवस पुनः भरा जायेगा। नियोक्ता को पीने के पानी का भण्डारण सुनिश्चित करने और इन बर्तनों को साफ और संदूषण से मुक्त रखने के लिये समस्त व्यवहारिक कदम उठाने होंगे।
	(ङ) शौचालयः–नियोक्ता कार्यस्थल पर पर्याप्त संख्या में कुमार, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक और सुगमता से सुलभ शौचालय स्थापित करेगा और उनकी नियमित रूप से साफ–सफाई की व्यवस्था रखेगा। ऐसे प्रत्येक शौचालय में पर्याप्त प्रकाश और हवा होनी चाहिए और उसे साफ और स्वास्थ्यकर दशा में बनाए रखा जाना चाहिए। प्रत्येक शौचालय में समुचित दरवाजे और ताले होंगे और इसे इस तरह से ढका और विभाजित किया जायेगा कि एकांतता सुनिश्चित हो सके।
	(च) भारी–भारः– किसी भी कुमार को अपने हाथों से या अपने सिर पर दस किलोग्राम से अधिक वजन उठाने, ले जाने या रखने की अनुज्ञा नही दी जायेगी।
	(छ) आँखों की सुरक्षाः– जहाँ पर अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न होने के कारण या ऐसे किसी प्रक्रिया के कारण जिसमें सामग्री के बिखरने, टूटने या उछलने के कारण आँखों को क्षति पहुँचने का जोखिम हो, वहां कार्यस्थल पर नियोजित कुमारों की आखों की सुरक्षा हेतु प्रभावी आवरक (परदें) या समुचित चश्में उपलब्ध कराये जायेंगे।
	(ज) विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ और गैस आदिः– ऐसे प्रत्येक कार्यस्थल जहाँ पर कुमार नियोजित हों, को वहाँ पर विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ तथा विषैली गैसों से मुक्त रखा जाये।
	(झ) अग्नि से सुरक्षाः– प्रत्येक कार्यस्थल पर नियोजित कुमारों को आग से सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और आपातकालीन निकास द्वार इस तरह स्थापित किए जाएंगे कि प्रत्येक कुमार बिना किसी बाधा के दरवाजे तक उचित रूप

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	से पहुंच सके। इन आपातकालीन दरवाजों के आयाम की चौड़ाई 2.5 फीट और ऊंचाई 5.5 फीट से कम नहीं होगी। समस्त वहनीय अग्निशामक यंत्रों को सदैव क्रियाशील स्थिति में रखा जाएगा। **(ञ) भवन और मशीन की सुरक्षाः**– नियोक्ता ऐसे भवन और मशीनों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जहां पर कुमार नियोजित हैं। **(ट) साप्ताहिक अवकाशः**– प्रत्येक कुमार को सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश का अधिकार होगा। **(ठ) चिकित्सा सुविधाः**– ऐसे कार्यस्थल का प्रत्येक नियोक्ता जहां कुमार श्रमिकों को नियोजित किया गया है, संपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ एक ''प्राथमिक उपचार पेटिका'' उपलब्ध कराएगा, जिस पर ''प्राथमिक उपचार'' शब्द पठनीय रूप से उल्लिखित किया जाएगा और ऐसे बॉक्स को ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहाँ पर कुमार आसानी से पहुंच सके।
बच्चे द्वारा शिक्षा को प्रभावित किए बगैर अपने परिवार की सहायता करना–	8–(1) धारा 3 के उपबन्धों के अध्यधीन कोई बालक, अपनी स्कूली शिक्षा को प्रभावित किए बिना, किसी भी रीति से अपने परिवार को उनके पारिवारिक उद्यम में इस शर्त के अध्यधीन सहायता कर सकेगा कि ऐसी सहायताः– (एक) अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में नहीं होगी, (दो) इसमें विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा श्रृंखला के किसी भी चरण में कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होगी जो बालक या उसके परिवार या परिवार के उद्यम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो, (तीन) उसे केवल अपने परिवार में या किसी पारिवारिक उद्यम में मदद करने की अनुमति दी जाएगी जहां उसका परिवार अधिभोगी है, (चार) वह विद्यालय समय और 7 बजे सायं से 8 बजे प्रातः के मध्य कोई कार्य नहीं करेगा, (पांच) वह सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो बालक की शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति में बाधा डालती हो या हस्तक्षेप करती हो या जो प्रतिकूल रूप से उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हो, जिसके अंतर्गत ऐसे क्रियाकलाप हैं, जो पूर्ण शिक्षा से अविभाज्य रूप से जुड़ी हैं,

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	जैसे गृह कार्य या कोई पाठ्येतर क्रियाकलाप हैं, जो उसे विद्यालय द्वारा समनुदेशित की गई हैं, (छः) बिना विश्राम के सतत रूप से किसी कार्य में नही लगाया जायेगा जिससे वह थक जाये और उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए विश्राम की अनुमति दी जायेगी। कोई बालक एक दिवस में विश्राम की कालावधि को अपवर्जित करते हुए तीन घंटे से अधिक के लिए सहायता नहीं करेगा, (सात) किसी भी तरह से अपने परिवार या परिवार के उद्यम में मदद करते समय किसी वयस्क या कुमार के लिए बालक का प्रतिस्थापन सम्मिलित नहीं होगा, और (आठ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लघंन में नहीं होगी, और (नौ) अपने परिवार की मदद या सहायता ऐसी रीति में करनी होगी जो किसी व्यवसाय, संकर्म, वृत्ति, विनिर्माण या कारबार या किसी संदाय या बालक या किसी अन्य व्यक्ति के फायदा के लिए है, जो बालक पर नियंत्रण रखता है, तथा जो बालक की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए अहितकर न हो। (2) यदि किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई बालक स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को सूचित किए बिना लगातार तीस दिवस की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तब ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक सूचना हेतु नियम 14 के उप नियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्बन्धित नोडल अधिकारी को अनुपस्थित की रिपोर्ट देगा। **स्पष्टीकरण 1**: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, परिवार का तात्पर्यः– (अ) बालक के माता–पिता; (ब) बालक का जैविक भाई या बहन, (स) बालक के माता–पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन, और (द) बालक के माता–पिता का जैविक भाई या जैविक बहन। **स्पष्टीकरण 2**: किसी भी संदेह के मामले में कि क्या काई व्यक्ति जैविक भाई या बहन है, से सम्बन्धित यथास्थिति स्थानीय निकाय या पंचायत द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की वंशावली, या राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कोई अन्य विधिक दस्तावेज से परीक्षण किया जा सकता है।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
बालक का कलाकार के रूप में कार्य करना–	9–(1) धारा 3 के उपबंधो के अधीन रहते हुए बालक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी जा सकेगीः– (क) किसी बालक को एक दिन में पाँच घण्टे से अधिक एवं बिना किसी विश्राम के तीन घंटों से अधिक कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी, (ख) किसी दृश्य–श्रव्य मीडिया प्रस्तुति या किसी वाणिज्यिक समारोह के किसी प्रस्तुतकर्ता जिसमें बालक की भागीदारी अंतर्वलित है, के बालक की सहभागिता को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसमें उस क्रियाकलाप को किया जाना है, अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही अंतर्वलित होगा और जिला मजिस्ट्रेट उस क्रियाकलाप को आरम्भ करने से पूर्व (एक) प्रपत्र–ग में एक वचनबंध (दो) बालक सहभागियों की सूची (तीन) यथास्थिति, माता–पिता या संरक्षक की सहमति, (चार) प्रस्तुति या समारोह से सम्बन्धित व्यक्ति का नाम, जो बालक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी है, की सूची प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग इस अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) का विनिर्दिष्ट करते हुए की जाएगी कि यदि किसी बालक को शूटिंग में लगाया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शूटिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऐसे बालक का दुरूपयोग, अनदेखी या शोषण नहीं हो, के लिए समस्त उपाय किए गए है, (2) उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट वचनबंध अनुमति के दिनांक से छह मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा और उसमें ऐसे प्रयोजन के लिए समय–समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा संरक्षण नीतियों के अनुरूप बालक की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तथा बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके अंतर्गत,– (क) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करना, (ख) बालक के लिए समयबद्ध पोषक–आहार, (ग) दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त उपबन्धों के साथ सुरक्षित, स्वच्छ आवास/आश्रय स्थल,

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(घ) बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त समस्त लागू विधियों का अनुपालन, जिसके अंतर्गत उनका शिक्षा, देखरेख और यौन अपराधों से संरक्षण के लिए अधिकार सम्मिलित है,
	(ङ) बालक की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालयों में उनके पठन–पाठन की निरंतरता बनी रहे और किसी बालक को सताईस दिवस से अधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जायेगी,
	(च) समारोह या कार्यक्रम के लिए अधिकतम पाँच बालकों के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और उसके सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके।
	(छ) बालक द्वारा प्रस्तुति या समारोह से अर्जित आय के कम से कम बीस प्रतिशत को सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालक के नाम से नियत निक्षेप खाते में निक्षेपित किया जाएगा जिसे वयस्कता प्राप्त होने पर बालक के खाते में जमा किया जा सकेगा, और
	(ज) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरूद्ध किसी दृश्य–श्रव्य और क्रीड़ा क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक मनोरंजन क्रियाकलाप भी है, में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
	स्पष्टीकरण:– धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए उसमें अंतर्विष्ट पद–''अन्य ऐसा क्रियाकलाप'' का तात्पर्य होगा,–
	(एक) कोई क्रिर्याकलाप, जिसमें बालक स्वयं किसी क्रीड़ा प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी क्रीड़ा प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहा है,
	(दो) दूरदर्शन पर सिनेमा और डाक्यूमेंटरी प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत रियल्टी शो, क्वीज शो, टेलेंट शो, रेडियो या कोई कार्यक्रम या कोई अन्य मीडिया है,
	(तीन) नाटक–सीरियल,
	(चार) किसी शो (प्रदर्शन) या समारोह में एंकर (उद्घोषक) के रूप में भागीदारी, और
	(पांच) कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार वैयक्तिक मामलों में अनुज्ञात करे, जिसके अंतर्गत वित्तीय लाभ हेतु नुक्कड़/गलियों में किए जाने वाले अभिनय सम्मिलित नहीं हैं।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
कार्य के घंटे	10–अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अध्यधीन, किसी कुमार से किसी स्थापन में कार्य के उतने घंटों से अधिक कार्य करना अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं दी जाएगी जितने कि ऐसे स्थापन में कुमार के कार्य के घंटों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन अनुज्ञेय है।
व्यक्ति, जो परिवाद फाइल कर सकेंगे	11–(1) कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है या भारत का निवासी है, अधिनियम या इस नियमावली के अधीन परिवाद फाइल कर सकता है। (2) इस नियमावली के अधीन, स्कूल के शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समिति, बालक संरक्षण समिति, पंचायत या नगर पालिका के प्रतिनिधियों को उस स्थिति में शिकायत फाइल करने के लिए जागरूक किया जाएगा कि उनके अपने–अपने स्कूलों से कोई छात्र इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित तो नहीं किया जा रहा है।
अपराधों का शमन करने की रीति	12–(1) कोई अभियुक्त व्यक्ति जो धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन पहली बार अपराध करता है या, जो माता–पिता या अभिभावक होने के नाते उक्त धारा के अधीन अपराध करता है, वह धारा 14घ की उपधारा (1) के अधीन उक्त अपराध का शमन करने की अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष समझौते के लिए आवेदन फाइल कर सकता है। (2) जिला मजिस्ट्रेट उपनियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबंधित निरीक्षक को सुनने के पश्चात् ऐसे आवेदन का निस्तारण करेगा और यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो निम्नलिखित के अध्यधीन शमन प्रमाण-पत्र जारी करेगाः– (क) वह ऐसे प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे अपराध के लिए प्रदान किए गए अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत धनराशि का भुगतान करेगा, या (ख) वह पूर्वोक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट शमन धनराशि के साथ–साथ ऐसे अपराध के लिए प्रदान किए गए अधिकतम जुर्माने का पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करेगा। यदि अभियुक्त व्यक्ति विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त खंड के अधीन शमन धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसा विलंबित भुगतान एक अतिरिक्त अवधि के भीतर किया जाएगा

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगा। (3) अभियुक्त व्यक्ति से एकत्र की गयी शमनकारी रकम को जिला स्तर पर बनाये गये बालक एवं कुमार श्रम पुनर्वास निधि में निक्षेपित की जायेगी। (4) यदि अभियुक्त व्यक्ति. उपनियम (2) के अधीन शमनकारी रकम का संदाय करने में विफल रहता है तो उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कार्यवाही जारी रहेगी।
जिला कृतिक बल का गठन	13–(1) प्रत्येक जिला में निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक जिला कृतिक बल गठित की जायेगी– (एक) जिला मजिस्ट्रेट–अध्यक्ष (दो) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजन के लिये धारा 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक–सदस्य (तीन) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधीक्षक–सदस्य (चार) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट–सदस्य (पांच) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए नियम 14 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी–सदस्य (छः) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए जिला में तैनात श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी या वरिष्ठम अधिकारी–सदस्य (सात) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित बालकों के बचाव और पुनर्वास में अन्तर्वलित प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से दो प्रतिनिधि–सदस्य (आठ) जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि–सदस्य (नौ) जिला तस्करी विरोधी ईकाई का सदस्य––सदस्य (दस) जिला की बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष–सदस्य (ग्यारह) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एकीकृत बालक

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	संरक्षण योजना के अधीन जिला बालक संरक्षण अधिकारी–सदस्य (बारह) जिला शिक्षा अधिकारी–सदस्य (तेरह) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति–सदस्य (चौदह) इस नियमावली के नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट और अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट नोडल अधिकारी–सचिव (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कृतिक बल प्रतिमाह कम से कम एक बार बैठक करेगी और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार छापा स्थल, योजना की गोपनीयता, समय–समय पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी बचाव और पुनर्वास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण और अंतरिम राहत को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्य योजना बनाएगा; और कृतिक बल, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के कार्यवृत्त को भी अपलोड कराएगा।
जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य	14–जिला मजिस्ट्रेट,– (क) अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को विनिर्दिष्ट करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझता है, नोडल अधिकारी कहा जायेगा जो अधिनियम की धारा 17–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्ट्रेट की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और समस्त या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे; (ख) नोडल अधिकारी को ऐसी शक्तियाँ और कर्तव्य समनुदेशित करेगा, जैसा वह समुचित समझे, जिनका प्रयोग और पालन वह अधीनस्थ अधिकारी के रूप में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर करेगा; (ग) किसी जिले में गठित होने वाले कृतिक बल के अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होना; (घ) नोडल अधिकारियों के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में नियोजित बच्चों और कुमारों को निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार बचाया जाए और पुनर्वास किया जाए:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(एक) किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2016) तथा किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016; (दो) बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1976); (तीन) केन्द्रीय बंघित श्रमिक पुनर्वास सेक्टर स्कीम, 2016; (चार) कोई राष्ट्रीय बालक श्रम परियोजना; (पांच) तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि या स्कीम, जिसके अधीन ऐसे बालकों या कुमारों का पुनर्वास सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के निर्देशों, यदि कोई हों और इस संबंध में समय–समय पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव और पुनर्वासन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्यधीन किया जाए।
निरीक्षक के कर्तव्य	15–धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित का अनुपालन करेगाः– (क) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निरीक्षण के मानको का अनुपालन; (ख) अधिनियम के उपबंघो का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का अनुपालन; और (ग) अधिनियम के उपबंधो का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उसके द्वारा किये गये निरीक्षणों के संबंध में और ऐसे प्रयोजनो के लिये उसके द्वारा की गयी कार्यवाही की त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।
सामयिक निरीक्षण और अनुश्रवण	16–राज्य सरकार धारा 17(ख) के उपबंधो के कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण व निरीक्षण की एक प्रणाली का सजृन करेगी, जिसमें शामिल हो सकते हैंः– (क) स्थानों के निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले सामयिक निरीक्षणों की संख्या, जहां बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है और जोखिम वाले व्यवसायों और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन होता है; (ख) वह अन्तराल जिस पर एक निरीक्षक खण्ड ग के उपखण्ड (एक) के अधीन निरीक्षण की विषय–वस्तु से संबंधित उसको प्राप्त शिकायतों और तत्पश्चात् उसके द्वारा की गयी कार्यवाई के ब्यौरों की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा; (ग) निम्न अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य प्रकार से अनुरक्षण :– (एक) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर काम करते हुए पाये गये बच्चे और कुमारों, जिनमें वे बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अधिनियम के उल्लंघन में परिवार या पारिवारिक उद्यमों में लगे हुए पाये जाते हैं;

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(दो) शमित अपराधों के ब्यौरों की संख्या;
	(तीन) अधिरोपित और वसूल की गई शमित रकम का ब्यौरा; और
	(चार) अधिनियम के अधीन बालकों व कुमारों को उपलब्ध कराई जा रही पुनर्वास सेवाओं का ब्यौरा।

प्रारूपों का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान प्रारूपों के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिये गये प्रारूप रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1

विद्यमान प्रारूप

प्रारूप ''क''

[नियम 3 (1)देखिए]

कार्य का स्थान.....

वर्ष.....

अधिष्ठाता का नाम और पता.....

अधिष्ठान द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति.....

क्र0सं0	बालक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	अधिष्ठान में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6
उस कार्य की प्रकृति जिस पर नियोजित हो	कार्य के दैनिक घण्टे	विश्राम अन्तराल	मजदूरी की अवधि	अभ्युक्ति	
7	8	9	10	11	

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप

प्रारूप ''क''

[नियम 3 (1) देखिए]

वर्ष.....

अधिष्ठाता का नाम और पता.....

कार्य का स्थान.....

अधिष्ठान द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति.....

क्र0सं0	कुमार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	स्थापन में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6
कार्य का नाम जिस पर नियोजित हो	कार्य के दैनिक घण्टे	विश्राम अन्तराल	मजदूरी की अवधि	टिप्पणियां	
7	8	9	10	11	

स्तम्भ–1

विद्यमान प्रारूप

प्रपत्र ''ख''

आयु का प्रमाण–पत्र

[नियम 4 (2)देखिए]

प्रमाण–पत्र संख्या.....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैने व्यक्तिगत रूप से (नाम ..... पुत्र/पुत्री.....निवासी..... ..... की परीक्षा की है और यह कि उसने अपना चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है/पूरी कर ली है) और वह जैसा मेरे परीक्षण से अभिनिश्चित किया जा सकता है.....वर्ष पूरा कर लिया है) का है। उसका वर्णनात्मक चिह्न .... है। बालक का अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर बालक का पासपोर्ट आकार का फोटो।

फोटो पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर

स्थान : चिकित्सा अधिकारी,
दिनांक : पदनाम

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप

प्रपत्र ''ख''

आयु का प्रमाण–पत्र

[नियम 4 (4)देखिए]

प्रमाण–पत्र संख्या.....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैने व्यक्तिगत रूप से (नाम ..... पुत्र/पुत्री.....निवासी..... ..... की परीक्षा की है और यह कि उसने अपना चौदह वर्ष पूरा कर लिया है/पूरी कर ली है) और उसकी आयु जैसे मेरे परीक्षण से अभिनिश्चित किया जा सकता है ....वर्ष (पूरा कर लिया है) का है। उसका वर्णनात्मक चिह्न ..... है।

बालक का अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर.....

स्थान : चिकित्सा प्राधिकारी,
दिनांक : पदनाम

प्रपत्र–''ग''

[नियम 9(1) (ख) देखिए]

उत्तर प्रदेश बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 के अधीन वचनबध

मैं.....वाणिज्यिक समारोह..... का दृश्य–श्रव्य मीडिया प्रस्तुति या आयोजक..... का प्रस्तुतकर्ता हूँ जिसमें निम्नलिखित बालक भाग ले रहे हैं, अर्थात–

क्रं0सं0	बालक/बालकों का नाम	माता–पिता/संरक्षक का नाम	पता

यह वचन देता हूँ कि..... .....समारोह (समारोह को विनिर्दिष्ट करें) में ऊपर उल्लिखित बालकों के शामिल होने के दौरान, बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) और बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियमावली, 1994 के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं होगा और बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उसे उन्हें कोई असुविधा न हो। मै यह भी वचन

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रारूप	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप
	देता हूँ कि समारोह के दौरान बालकों के संरक्षण, जिसके अन्तर्गत उनके शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण, लैंगिक अपराधों के विरूद्ध विधिक उपबंध भी है, के लिए तत्समय प्रवृत्त लागू सभी विधियों का अनुपालन किया जाएगा। दिनांक..... प्रस्तुतकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

आज्ञा से,
अनिल कुमार–III
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 01/2024/2568/XXXVI-3–2023-37(Sa.)-2022, dated December 29, 2023:

No. 01/2024/2568/XXXVI-3–2023-37(Sa.)-2022

Dated Lucknow, December 29, 2023

THE following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (Act no. 61 of 1986) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act. no. 10 of 1897) are hereby published for the information of all concerned and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof .

ALL objections and suggestions with respect to said rules should be sent in duplicate addressed to the Principal Secretary, Shram Anubhag-3, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Lucknow-226001/Labour Commissioner Office , G.T. Road, Kanpur.

Only those objections and suggestions which are received within forty-five days from the date of publication of this notification shall be taken into consideration.

DRAFT RULES

THE UTTAR PRADESH CHILD LABOUR (PROHIBITION AND REGULATION) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Child Labour (Prohibition and Regulation) (First Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official *Gazette*.

General Amendment

2. In the Uttar Pradesh Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1994, (hereinafter referred to as the " said rules ") , *for* the words "Uttar Pradesh Child Labour", wherever occurring including the short title, long title, marginal headings, the words "Child and Adolescent Labour" shall be *substituted*.

Amendment of rules 2, 3 and 4

3. In the said rules, *for* rules 2, 3 and 4 set out in Column-I below, the rules as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
Definitions- 2. In these rules,– (a) "Act" means the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (Act no. 61 of 1986); (b) "form" means a form appended to these rules; (c) "register" means the register maintained under section 11; (d)"schedule" means the schedule to the Act;	**Definitions-** 2**.** In these rules ,– (a) "Act" means the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (Act no. 61 of 1986); (b) "Adolescent" means an adolescent as defined in clause (i) of section 2 of the Act;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
(e) "section" means section of the act	(c) "District Magistrate" for the implementation of different sections of the Act or rules means the District Magistrate himself or any officer authorized by him ;
(f) The expression "Young person" shall have the meaning assigned to it in the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948)	(d) "Form" means a form appended to these rules;
	(e) "Fund" means the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund constituted under sub-section (1) of the section 14 B of the Act;
	(f) " Guardian " in relation to a child or adolescent means a person having the care and custody of the child or adolescent and includes a natural guardian or guardian appointed or declared by a Court or a statute;
	(g) "Inspector" means the Inspector appointed by the State Government under section 17 of the Act;
	(h) "Medical authority" means Government Medical Officer of the concerned District or area in Uttar Pradesh;
	(i) "Municipality" means an institution of self-government constituted under Article 243-Q of the Constitution;
	(j) "Panchayat" means a Panchayat constituted under Article 243-B of the Constitution;
	(k) "Parent" means either the natural or step or adoptive father or mother of child;
	(l) "Register" means the register maintained under section 11 of the Act ;
	(m) "Schedule" means the Schedule to the Act ;
	(n) "Section" means section of the Act .
	(2) Words and expressions used in these rules but not defined therein and defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.
Register [section 11 and section 18 (2) (d)]	**Register to be maintained under section 11 of the Act** .
3. The register under section 11 shall be maintained in Form 'A' every year. The register of an year shall be kept in record for a period of three years.	**3. (1)** Every occupier of an establishment shall maintain a register in respect of adolescents employed or permitted to work, in Form-A . **(2)** The register shall be maintained on a yearly basis but shall be retained by the employer for a period of 3 years after the date of the last entry made therein.

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
Prescribed Medical Authority by whom and from which a certificate of age is issued and charges therefar 4. (1) For the purposes of the Act, the Chief Medical Officer of the district or a Medical Officer of a Government Hospital (including employees State Insurance Hospital/ Dispensary and Primary Health Centre) possessing a M.B.B.S . degree shall be the prescribed medical authority within the local limits of his jurisdiction. (2) The certificate of age to be issued by the prescribed medical authority shall be in Form 'B' . (3) The charges payable to prescribed medical authority for the issue of such certificate shall be such as may be fixed from time to time by the State Government or the Central Government as the case may be. (4) The charges payable to be prescribed medical authority shall be borne by the occupier.	**Certificate of age.** 4.(1) Where an inspector has an apprehension that any adolescent has been employed in any occupation or processes in which he is prohibited to be employed under section 3-A of the Act, he may require the employer of such adolescent to produce to the inspector a certificate of age from the appropriate medical authority. (2) The appropriate medical authority shall, while examining an adolescent for issuing the certificate of age under sub-rule (1), take into account the date of birth certificate from school or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination Board of the adolescent, if available; and in the absence thereof, the birth certificate of the adolescent given by Corporation or a Municipal Authority or a Panchayat shall be considered. Only in the absence of the aforesaid methods, the age of the adolescent shall be determined by such medical authority through an ossification test or any other latest medical age determination test. (3) The ossification test or any other latest medical age determination test shall be conducted on the order of the appropriate authority not below the rank of Assistant Labour Commissioner, as may be specified by the State Government in this behalf, and such age determination shall be completed within fifteen days from the date of such order. (4) The certificate of age referred to in sub-rule (1) shall be issued in Form-B. (5) The charges payable to the medical authority for the issue of certificate of age shall be such as specified by the State Government from time to time. (6) The charges payable to the medical authority shall be borne by the employer of the adolescent whose age is determined under this rule.
Insertion of new rules 5 to 16	**3. In the said rules, after rule 4 the following new rules shall be *inserted*, namely:-**
Awareness on prohibition of employment of child and adolescent in contravention to Act.	**5.(1)** The State Government shall ensure that the children and adolescents are not employed or permitted to work in any occupation or process in contravention of provisions of the Act . The State Government, through appropriate measures, shall,-

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(a) arrange public awareness campaigns using folk and traditional media and mass media including television, radio, internet based application and print media to make the general public, including the employer and the children and adolescents who may be employed in contravention to the provisions of the Act, and make than aware about the priorities of the Act, and thereby prohibit employers or other persons from engaging children and discourage them from employing adolescents in any occupation or process in contravention of the provisions of the Act; (b) promote reporting of enterprises or instances of employment of children or adolescents in contravention of the provisions of the Act, by developing and advertising easily accessible means of communication to the authorities specified by the State Government; (c) display to the possible extent the provisions of the Act, these rules and any other information relating thereto in bus stations, toll plazas and other public places including shopping centers, markets, cinema, halls, hotels, hospitals, Panchayat offices, Police Stations, resident welfare association offices, industrial areas, schools, educational institutions, Court complexes and offices of all authorities authorized under the Act; (d) promote, through appropriate methods , the inclusion of the provisions of the Act in learning material and syllabus in school education ; and (e) promote inclusion of training and sensitization material on the provisions of the Act and the responsibilities of various stakeholders thereto, in labour police, judicial, civil services , academics, teachers training and refresher courses and also arrange sensitization programmes for other relevant stakeholders including Panchayat members, doctors and concerned officials of the State Government .
Payment of amount to child or adolescent from and out of Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund.	6.(1) The amount credited, deposited or invested, as the case may be, under sub-section (3) of section 14B of the Act and recovered from any other sources under any case to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund and the interest accrued on it, shall be paid to the child or adolescent in whose favour such amount is credited in the following manner :-

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(a) the Inspector or the nodal officer having jurisdiction shall, under his supervision, ensure that an account of the child or adolescent is opened in a nationalized bank and shall inform about the same to the bank in which the amount of the Fund is deposited or, as the case may be, to the officer responsible for investing the amount of the Fund under sub section (3) of section 14B of the Act ; (b) the interest accrued on the proportionate amount of the Fund in favour of the child or adolescent shall be transferred every six months to the account of the child or adolescent, as the case may be, by the bank or officer responsible for investing the amount under information to the Inspector; (c) when the concerned child or adolescent completes the age of eighteen years, then, as soon as may be possible forthwith or within a period of three months, the total amount credited, deposited or invested in favour of the child along with interest accrued thereon remaining in the bank or remaining so invested under sub-section (3) of section 14B of the Act , shall be transferred to the said bank account of the child or adolescent , as the case may be; and (d) the Inspector shall prepare a report of the amount transferred under clauses (b) and (c) with particulars of the concerned child or adolescent sufficient to identify him and he shall send a copy of the report annually to the State Government for information; (e) any amount recovered by way of fine or for composition of offences , in pursuance of an order or judgment of a Court in favour of a child or adolescent , for the contravention of the provisions of the Act, shall also be deposited in the Fund and shall be spent in accordance with such order or judgment.
Working conditions for adolescent employed in non-hazardous occupations and processes	7.(1) Each employer shall be responsible for :- **(a) Cleanliness of workplace-** Each workplace, where adolescents have been employed, shall be wiped and cleaned minimum once each day and such places shall not have slippery items and stinking materials. If there is any possibility of dampening of workplace , effective measures of water drainage shall be ensured and maintained. Each employer shall ensure that there is no dumping of waste material or garbage on or near the workplace in such a manner that it is spread outside;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(b) Flow of air (ventilation) and temperature-Suitable and effective measures should be taken at each workplace to ensure that each room of such workplace has flow of fresh/pure air and such temperature is maintained in these rooms that is comfortable for working of the adolescents employed and thereby loss to their health is prevented; **(c) Light-** Adequate and proper natural or artificial light or both shall be made available and sustained at each workplace. For emergency lighting arrangements , a capable portable battery-operated or battery torch efficiently equipped shall be made available at an appropriate place; **(d) Safe Drinking water-** It shall be the responsibility of the employer to ensure availability of fresh and clean drinking water through taps of public water distribution system or through hand pumps on workplace. If availability of fresh and clean drinking water through taps of public water distribution system or through hand pumps on workplace is not possible, then drinking water shall be kept in suitable pots and these pots must be refilled every day. Employer shall take all practical steps to ensure the storage of drinking water and to keep these pots clean and free from contamination; **(e)Toilets-** Employer shall establish separate and easily accessible toilets for adolescent males and females in adequate number on workplace and shall keep them clean regularly. Each such toilet must have adequate light and air and shall be maintained in clean and hygienic conditions . Each toilet shall have proper doors and locks and shall be covered and partitioned in such a manner that privacy is ensured; **(f) Heavy weight-** No adolescent shall be permitted to lift, carry, or keep a weight more than ten kilograms either through his/her hands or on his/her head; **(g) Safety for eyes-** Effective covers (screens) and suitable glasses shall be provided for the safety of employed adolescents on such workplaces where there is a risk to eyes due to generation of excessive light or due to any other such work process in which there is a risk of damage to eyes due to scattering or splitting of any material part of bouncing materials;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(h) Explosive and inflammable particle and gases etc.- Each such workplace where adolescents have been employed shall be free from explosives, inflammable materials and toxic gases; **(i) Safety from fire-** Adequate resources shall be provided for safety from fire to adolescents employed on each workplace and emergency exit doors shall be established in such a way that each adolescent has proper access to the doors without any hindrance. The dimension of these emergency doors shall not be less than 2.5 feet in width and 5.5 feet in height. All portable fire extinguishers shall be always kept in working condition; **(j) Safety of building and machines-** Employer shall ensure the safety of such building and machines where adolescents have been employed; **(k) Weekly holiday-** Each adolescent shall have the right for a paid weekly holiday; **(l) Medical facilities-** Every employer of such workplace where adolescent workers have been employed, shall make available a " first aid box" with complete primary medical kit on which the words "FIRST AID" will be readably mentioned and such box shall be kept at such a place where adolescents have an easy access to it.
Child to help his family without affecting education.	8.(1) Subject to the provisions of section 3 a child may, without affecting his school education, in any manner help his family in their family enterprise, subject to the condition that such help ,— (i) shall not be in any hazardous occupation or process listed in the Schedule to the Act ; (ii) shall not include work or occupation or process at any stage of the manufacturing , production, supply or retail chain that is remunerative for the child or his family or the family enterprise; (iii) shall only be allowed to help in his family or in a family enterprise where his family is the occupier; (iv) shall not perform any tasks during school hours and between 7 p.m. and 8 a.m. ; (v) shall not be engaged in such task of helping which hinders or interferes with the right to education of the child, or his attendance in the school, or which may adversely affect his education including activities which are inseparably associated to complete education such as homework or any extra-curricular activity assigned to him by the school;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(vi) shall not be engaged in any task continuously without rest which may make him tired and shall be allowed to take rest to refresh his health and mind . A child shall not help for more than three hours excluding the period of rest in a day; (vii) shall not include in any way substitution of the child for an adult or adolescent while helping his family or family enterprise; (viii) shall not be in contravention to any other law for the time being in force; (ix) shall be to aid or assist his family in such a manner which is not incidental to any occupation, work, profession, manufacture or business or for any payment or benefit to the child or any other person exercising control over the child ; and which is not detrimental to the growth, education and overall development of the child; (2) Where a child receiving education in a school remains absent consecutively for a period of thirty days without intimation to the Principal or Headmaster of the school, then the Principal or Headmaster shall report such absence to the concerned nodal officer referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 14 for information. **Explanation 1** : For the purpose of this rule, "family" means:- (a) parents of the child ; (b) biological brother or sister of the child ; (c) brother or sister of the child through lawful adoption by parents of the child; (d) biological brother or biological sister of the parents of the child; **Explanation 2:** In case of any doubt as to whether a person is a biological brother or sister, the pedigree of such person issued by the concerned local body or Panchayat, as case may be , or any other legal document issued by the authority concerned of the State Government may be examined .
Child to work as an artist	9.(1) Subject to the provisions of section 3, a child may be allowed to work as an artist subject to the following conditions, namely:- (a) no child shall be allowed to work for more than five hours in a day and not more than three hours without rest ;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(b) any producer of any audio-visual media production or any commercial event , involving the participation of a child, shall involve a child in participation only after obtaining permission for the same from the District Magistrate of the district where the activity is to be performed, and shall furnish to the District Magistrate before starting of the said activity: (i) an undertaking in Form-C ; (ii) the list of child participants ; (iii) consent of parents or guardian, as the case may be ; and (iv) name of the individual from the production or event who shall be responsible for the safety and security of the child. The producer shall ensure that the screening of his films and television programs shall be made with a disclaimer specifying that if any child has been engaged in shooting, then all the measures were taken to ensure that there has been no abuse, neglect or exploitation of such child during the entire process of the shooting; (2) The undertaking referred to in clause (b) of sub-rule (1) shall be valid for a period of six months from the date of permission and shall clearly state the provisions for education, safety, security and reporting of child abuse in consonance with the guidelines and protection policies issued by the Central Government or the State Government from time to time for such purpose including ,— (a) ensuring facilities for physical and mental health of the child; (b) timely nutritional diet of the child; (c) safe, clean shelter with sufficient provisions for daily necessities; (d) compliance of all laws applicable, for the time being in force, for the protection of children, including their right to education, care and protection against sexual offences; (e) appropriate facilities for education of the child to be arranged so as to ensure that there is no discontinuity from his lessons in school and no child shall be allowed to work consecutively for more than twenty-seven days; (f) one responsible person to be appointed for maximum of five children for the production or event so as to ensure the protection, care and best interest of the child; (g) at least twenty percent of the income earned by the child from the production or event shall be directly deposited in a fixed deposit account in a nationalized bank in the name of the child which may be credited to the child on attaining majority;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(h) no child shall be made to participate in any audio-visual and sports activity including informal entertainment activity against his will and consent. **Explanation:** For the purposes of clause (c) to the Explanation to sub-section (2) of section 3, the expression - "such other activity" contained therein, shall mean – (i) any activity where the child himself is participating ; in a sports competition or event or training for such sports competition or event; (ii) cinema and documentary shows on television including reality shows, quiz shows, talent shows; radio and any program in or any other media; (iii) drama serials; (iv) participation as anchor of a show or events; and (v) any other artistic performances which the Central or State Government permits in individual cases, which shall not include street performance for monetary gain.
Hours of work	10. Subject to the provisions of section 7 of the Act no adolescent shall be required or permitted to work in an establishment in excess of such number of hours of work as is permissible under the law for the time being in force regulating the hours of work of the adolescent in such establishment.
Persons who may file complaint	11.(1) Any person who is an Indian National or a resident of India may file a complaint under the Act or these rules . (2) Under these rules, school teachers and representatives from school management committee, child protection committee, Panchayat or Municipality, shall be sensitized to file complaint in the event that any students in their respective schools is employed in contravention to the provisions of the Act .
Manner of compounding offences	12.(1) An accused person who commits an offence for the first time under sub-section (3) of section 14 or, who being a parent or a guardian commits an offence under the said section may file an application to the District Magistrate having jurisdiction for compounding the said offence under sub-section (1) of section 14D. (2) The District Magistrate shall , after hearing the accused person and the Inspector concerned, on an application filed under sub-rule (1), dispose of such application and if the application is allowed, issue the certificate of compounding, subject to:-

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(a) the payment of a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence within a period to be specified in such certificate; or (b) the payment of an additional sum of twenty-five percent of the maximum fine provided for such offence together with the compounding amount specified under aforesaid clause . If the accused person fails to the pay the compounding amount under the said clause within the specified period, then such delayed payment shall be made within a further period as may be specified by the District Magistrate which shall not exceed the period specified in that clause . (3) The compounding amount collected from the accused person shall be deposited to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund created at the district level . (4) If the accused person fails to pay the compounding amount under sub-rule (2), the proceeding shall be continued as specified under clause (b) of sub-rule (2).
Constitution of District Task Force	13.(1) There shall be constituted a District Task Force in every district consisting of the following members :- (i) District Magistrate-Chairperson; (ii) Inspector appointed under section 17 for the purposes of local limits of his jurisdiction—Member ; (iii) Superintendent of Police for the purposes of local limits of his jurisdiction—Member; (iv) Additional District Magistrate for the purposes of local limits of his jurisdiction — Member ; (v) Nodal Officer referred to under clause (a) of sub-rule (1) of rule 14 for the purposes of local limits of his jurisdiction— Member ; (vi)Additional/ Deputy/ Assistant Labour Commissioner/Labour Enforcement Officer or the seniormost officer of Labour Department , Government of Uttar Pradesh posted in the district for the purposes of local limits of his jurisdiction— Member; (vii) two representatives each from a voluntary organization involved in rescue and rehabilitation of employed children in the district on rotation basis for a period of two years — Member ; (viii) A representative of District Legal Services Authority to be nominated by the District Judge — Member ;

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(ix) a member of the District Anti - Trafficking Unit — Member ; (x) Chairperson of the Child Welfare Committee of the District — Member ; (xi) District Child Protection Officer in the district under the Integrated Child Protection Scheme of the Ministry of Women and Child Development, Government of India — Member ; (xii) District Education Officer — Member ; (xiii) any other person nominated by the District Magistrate — Member ; (xiv) Nodal officers referred in clause (a) of sub-rule (1) of rule 14 of this rule and nominated by the Chairperson — Secretary . (2) The Task force referred in sub-rule (1) shall meet at least once in every month and shall make a comprehensive action plan for conducting the rescue operation taking into account the time available, point of raid in accordance with the law for the time being in force, confidentiality of the plan, protection of victims and witnesses and the interim relief, in accordance with the guidelines for rescue and rehabilitation issued by the Central Government or the State Government from time to time; and the Task Force shall also cause the minutes of such meeting to be uploaded on the portal created for such purpose by the Central Government or the State Government.
Duties of District Magistrate	14. The District Magistrate shall ,— (a) specify such officers subordinate to him, as he considers necessary, to be called Nodal Officers, who may exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties of the District Magistrate conferred and imposed on him by the State government under section 17A of the Act; (b) assign such powers and duties, as he thinks appropriate, to a Nodal Officer to be exercised and performed by him within his local limits of jurisdiction as subordinate officer; (c) preside over as Chairperson of the Task Force to be formed in a district ; (d) ensure, through nodal officers, that the children and adolescents who are employed in contravention of the provisions of the Act are rescued and rehabilitated in accordance with the provisions of :

COLUMN-I *Existing rules*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
	(i) the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Act no. 2 of 2016) and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016; (ii) the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (Act no. 19 of 1976); (iii) the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer, 2016. (iv) any National Child Labour Project; (v) any other law or scheme for the time being in force under which such children or adolescents may be rehabilitated subject to the directions, if any, of a Court of competent jurisdiction and the guidelines for rescue and rehabilitation issued by the Central or State Government from time to time in this regard.
Duties of Inspector	15. An Inspector appointed by the State Government under section 17, for the purposes of securing compliance with the provisions of the Act, shall ,— (a) comply with the norms of inspection issued by the State Government from time to time; (b) comply with the instructions issued by the State Government from time to time for the purposes of securing compliance with the provisions of the Act; and (c) make quarterly reports to the State Government regarding the inspections carried out by him for the purpose of securing the compliance of the provisions of the Act and the action taken by him for such purposes.
Periodical inspection and monitoring	16. The State Government shall create a system of monitoring and inspection for carrying out the provisions of section 17B which may include:- (a) the number of periodical inspections to be conducted by the Inspector , of places , at which the employment of children is prohibited and hazardous occupations or processes are carried out; (b) the intervals at which an Inspector shall report to the State Government complaints received to him relating to subject matter of inspection under sub- clause (i) of clause (c) and the details of action taken by him thereafter ; (c) maintenance of records electronically or otherwise of:- (i) children and adolescents found to be working in contravention of the provisions of the Act including children who are found to be engaged in family or family enterprises in contravention of the Act; (ii) number of details of the offences compounded; (iii) details of the compounding amount imposed and recovered; and

COLUMN-I
Existing rules

COLUMN-II
Rules as hereby substituted

(iv) details of rehabilitation services provided to children and adolescents under the Act.

4. In the said rules, for the existing Forms set out in Column-I below, the Forms as set out in Column- II shall be *substituted*, namely:- Amendment of Forms

COLUMN-I
(*Existing Forms*)

FORM-A
[See rule 3(1)]

Year --------------------------------

Name and address of employer -----------------------
Place of work -----

Nature of work being done by the establishment----

Serial no.	Name of child	Father's name	Date of birth	Permanent address	Date of joining the establishment
1	2	3	4	5	6

Nature of work on which employed	Daily hours of work	Intervals of rest	Wages period	Remarks
7	8	9	10	11

FORM 'B'
(Certificate of age)
[See rule 4(2)]

Certificate No………….

I hereby certfy that I have personally examined (Name......son/daughter of…….. residing at …..and that he/she has completed his/her fourteenth year) and his/her age, as near as can be ascertained from my examination.

His/her descriptive marks are…..

Thumb-impression/Signature of child.

Passport size photo of the child

Signature by Medical Officer on the photo

Place: Medical Officer
Date :

Designation

COLUMN-II
(*Forms as hereby substituted*)

FORM-A
[See rule 3(1)]

Year --------------------------------

Name and address of employer -----------------------
Place of work ------------

Nature of work being done by the establishment ------

Sl. No.	Name of adolescent	Father's name	Date of birth	Permanent address	Date of joining the establishment
1	2	3	4	5	6

Name of the work on which employed	Daily hours of work	Intervals of rest	Wages paid	Remarks
7	8	9	10	11

FORM-B
(Certificate of age)
[See rule 4(4)]

Certificate No..

I hereby certify that I have personally examined (name) .... son/daughter of .... residing at .... that he/she has completed his/her fourteenth year and his/her age, as nearly as can be ascertained from my examination, is.............years (completed). His/her descriptive marks are…………………………….........

Thumb-impression/signature of child ……...……..

Place ………………………….

Medical Authority

Date …… ……………………..

Designation

FORM-C
[see rule 9(1)(b)]

Undertaking under rule 9-(1)(b) of The Uttar Pradesh Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) (First Amendment) Rules, 2023

I…………………………………producer of ……………………….an audio-visual media production or organiser of .... a commercial event, involving the participation of the following child/children, namely:-

COLUMN-I
(*Existing Forms*)

COLUMN-II
(*Forms as hereby substituted*)

S.No.	Name of the Child/Children	Parent's/ Guardian's	Address

do hereby undertake that in the course of the involvement of the above-mentioned child/children in the event …….....
(Specify the event), there shall be no violation of any of the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation), Act, 1986 (61 of 1986) and Uttar Pradesh Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) (First Amendment) Rules, 2023 and full care shall be taken of the physical and mental health, and other requirement of the child/children, so that he/they feel no inconvenience. I also undertake that during the event, all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and legal provisions against sexual offences will be compiled.

Dated.....

…….....
Name and signature of the producer.

By order,
ANIL KUMAR-III,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1050 राजपत्र–2024–(2910)–599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 338 सा0 श्रम–2024–(2911)–150+150=300 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।